माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

क्रमांक /3072/डी.एड.सेल/2015 भोपाल, दिनांक 28/09/2015

डी0 2530 25/0 20-10-15

संस्था कोड–44203

प्रति,

प्राचार्य/सचिव/अध्यक्ष
अशासकीय संस्था मीरा महाविद्यालय
रन बाय सर्वमंगलम् शिक्षण एवं समाज कल्याण समिति
प्लॉट नं.–05, उज्जैन–456010
जिला– उज्जैन (म.प्र.)

विषयः– डी.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु सत्र 2015–16 से मण्डल की नवीन संबद्धता बावत

––//––

माननीय सर्वोच्च न्यायालय रिट पिटिशन 5559/15 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.08.2015 के अनुपालन में एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी मान्यता आदेश क्रमांक–WRC/NCTE/APW05168/222271/231st/D.El.ED/M.P./2015/151955 दिनांक 27.08.2015 एवं आपकी संस्था द्वारा मण्डल में प्रस्तुत नवीन संबद्धता संबंधी आवेदन पत्र के परिप्रेक्ष्य में आपकी संस्था को डिप्लोमा इन एज्यूकेशन पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु 50 विद्यार्थियों के इंटेक सहित सत्र 2015–16 से मण्डल की संबद्धता निम्न शर्तों के अंतर्गत प्रदान की जाती हैः–

62725

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) 276/12 (माँ वैष्णव देवी महिला महाविद्यालय विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार) में पारित आदेश दिनांक 13.12.2012 में संबंधित परीक्षा निकाय एवं राज्य सरकार को निम्नानुसार बिन्दुओं के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करने संबंधी जिम्मेदारी सौंपी गई है तदनुसार मण्डल द्वारा संबद्धता जारी किये जाने के उपरान्त भी यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा :– प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की योग्यता एवं तद्संबंधी जारी प्रवेश नियम,परीक्षा संचालन से संबंधित नियम, संबंधित पाठ्यक्रम पूरा किये जाने से संबंधित नियम अथवा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी नियमों एवं मा.शि.मण्डल द्वारा समय–समय पर जारी पाठ्यक्रम व संबद्धता संबंधी नियमों एवं निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो मण्डल द्वारा प्रदत्त संस्था की संबद्धता समाप्त की जा सकेगी।

2.

2. एन.सी.टी.ई. द्वारा संस्था को प्रदत्त मान्यता समाप्त करने की दशा में मण्डल द्वारा संस्था को प्रदत्त संबद्धता भी उसी के साथ स्वतः समाप्त मानी जावेगी तथा एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता समाप्ति के उपरान्त संस्थाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों को मण्डल की परीक्षा में शामिल नहीं कराया जावेगा।

3. मण्डल द्वारा संबद्धता प्रदान किये जाने के बाद यदि किसी भी समय मण्डल के संज्ञान में आता है कि संस्था द्वारा संबद्धता प्राप्त करने के प्रयोजन से कोई तथ्य छिपाया गया है अथवा छल पूर्वक संबद्धता प्राप्त की गई है, तो ऐसी स्थिति में मण्डल द्वारा संस्था को प्रदत्त की गई संबद्धता बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।

4. एन.सी.टी.ई. द्वारा संस्था को जिस पते पर मान्यता जारी की गई है वही पता मान्य किया जायेगा। संस्था के पते में परिवर्तन उसी स्थिति में मान्य किया जायेगा। जब संस्था को एन.सी.टी.ई. द्वारा विधि अनुसार पते में परिवर्तन की अनुमति दी गई हो तथा तद संबंधी सूचना मण्डल को एन.सी.टी.ई. द्वारा उपलब्ध कराई गई हो। संस्थाओं द्वारा बगैर एन.सी.टी.ई. की अनुमति के, स्वयं के स्तर से पते में परिवर्तन को मान्य नहीं किया जावेगा।

माध्यमिक शिक्षा मंडल (आवक दस्तक) म.प्र. भोपाल